अज अदालत लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज

बइजलास डॉ.नरेश सोनी, आर.ए.एस

प्रार्थी		अप्रार्थी
गोमाराम पुत्र सोमीराराम जाति गरासीया निवासी खेतरली तह0 बाली जिला पाली	बनाम	राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, शिवगंज (राजस्थान)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वाद संख्या 69/2023

दिनांक 19.12.2023

–:आदेश:–

उक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थी राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज के पेश कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी के कब्जे एवं खातेदारी की कृषि आराजी मौजा बादला पटवार हल्का बादला भूअभिलेख निरीक्षक शिवगंज, तहसील शिवगंज में स्थित है। मौजा बादला के खसरा नं0 128/12 रकबा 0.4856 हैक्टयर किस्म पहाड व खसरा नम्बर 128/8 कुल रकवा 0.8094 हेक्टेयर किस्म खालखददर उसर भूमि आई हुई स्थित हैं। जो भूमि खसरा मूल खसरा नं0 128 से बने है। सेग्रिकेशन के दौरान प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 128/12 व खसरा नं0 128/8 की तरमीम मौका स्थिति के विपरित दर्ज की गई। यानि सेग्रिग्रेशन के पूर्व के खसरा नम्बर 128/12 व खसरा नं0 128/8 का जिस स्थान पर कब्जा स्थित है उस स्थान पर खसरा नं0 128/12 व खसरा नं0 128/8 की तरमीम नहीं की गई है तथा खसरा नंबर 128/12 व 128/8 की तरमीम राजस्व कर्मचारीयों द्वारा अपनी मनमर्जी से दूसरी जगह पर की गई है। यानि खसरा नं0 128/12 की तरमीम खसरा नं0 128/8 के स्थान पर व खसरा नं0 128/8 की तरमीम खसरा नं0 128/12 के स्थान पर कर दी गई है जबकि मौके पर आज भी प्रार्थी का कब्जा पूर्व की स्थिति अनुसार यानि खसरा नं0 128/12 का मौके पर कब्जा वर्तमान नक्शा ट्रेस में दर्ज खसरा नं0 128/8 के स्थान पर एवं खसरा नं0 128/8 को मौके पर कब्जा वर्तमान नक्शा ट्रेस में दर्ज खसरा नं0 128/12 के स्थान पर चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा राजस्व नक्शा ट्रेस में दौरानें सेग्रिगेशन के दौरान दर्ज हुए गलत तरमीम को सही दुरूस्त करने हेतु हल्का पटवारी बादला भू0 अभि0 निरीक्षक शिवगंज श्रीमान तहसीलदार शिवगंज को मौखिक रूप से निवेदन किया गया लेकिन उसके बाद भी राजस्व नक्शा में गलत तरमीम की शुद्धी नहीं की गई तथा मौके पर काबिज स्थिति अनुसार राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में खसरा नं0 128/12 के स्थान पर खसरा नं0 128/8 एवं खसरा नं0 128/8 के स्थान पर खसरा नं0 128/12 दर्ज नहीं किया गया है। जिससे प्रार्थी को अपने खातेदारी हक अधिकार की भूमि के उपयोग उपभोग एवं सुधार कार्य करने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा मौका स्थिति अनुसार राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं किये जाने से प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि का सीमांकन करवाने एवं धोरापाली, तारबंदी व बाड आदि करते समय एवं सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करते समय परेशानी का सामना करना पडता है। जिससे मौके पर काबिज स्थिति अनुसार सीमांकन कर खसरा नं0 128/12 के स्थान पर राजस्व नक्शा ट्रेस में खसरा नं0 128/8 रकबा 0.8094 हेक्टयर, खसरा नं0 128/8 के स्थान पर राजस्व नक्शा ट्रैस में खसरा नं0 128/12 रकबा 0.4856 हेक्टयर दर्ज करने हेतु प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 131, 136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड के नक्शे में सही सीमांकन नहीं होने से मौके पर कब्जा अनुसार राजस्व नक्शे में न्यायहित में शुद्धि किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई जिस पर तहसीलदार शिवगंज ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों एवं मौका जांच अनुसार मौजा बादला तहसील शिवगंज के खसरा नं0 128/8 रकबा 0.8094 हैक्टयर व खसरा नं0 128/12 रकबा 0.4856 हेक्टयर भूमि के दोनों खसरे गोमाराम पुत्र सोमीराराम जी जाति गरासिया खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के कथनानुसार तरमीम शुद्ध की जाती है तो किसी अन्य खातेदार व राजहित पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

दिनांक 19.12.2023 को प्रार्थी अधिवक्ता एवं स्टेट की और से तहसीलदार शिवगंज उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पर बहस की, जिसे सुना गया। तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित राजस्व नक्शे में तरमीम शुद्ध किये जाने को उचित बताया है। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

लगातार पेज सं0 2

प्र0सं0 69/2023
गोमाराम बनाम तहसीलदार शिवगंज
अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआरएक्ट

अतः तहसीलदार शिवगंज को प्रस्तावित नजरी नक्शे अनुसार **मौजा बादला पटवार हल्का बादला तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 128/8 रकबा 0.8094 हैक्टयर व् खसरा नं0 128/12 रकबा 0.4856 हेक्टयर भूमि** की तरमीम प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार शुद्धि किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। **स्वीकृत प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न अंग माना जावे।** आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया ।

यह आदेश आज दिनांक 19.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (राज.)

(डॉ. नरेश सोनी R.A.S)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक/कोर्ट/2023/ 805

दिनांक 19.12.2023

प्रतिलिपि पालनार्थ हेतु :–
तहसीलदार शिवगंज ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)